

BUNDU NAGAR PANCHAYAT

स्मारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 623972140721114126

Date : 14-07-2021

प्रभावी : चतुर्थ तिमाही 2020-2021

श्री/श्रीमती/सुश्री PARWATI DEVI W/O LT ASHOK KUMAR NAYAK,
मोहल्ला NAVRATRI TOLI BUNDU BUNDU
RANCHI, 835204
6202045141

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0080000379000A4 वार्ड सं. 8 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 55650/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	278.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		278.00



नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, BUNDU NAGAR PANCHAYAT Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयवधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- BUNDU NAGAR PANCHAYAT द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतो/दांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मातृको / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नंओं का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

To be signed by the Applicant

BUNDU NAGAR PANCHAYAT, BUNDU

HOLDING TAX RECEIPT

Receipt No. **TRN53927208072021044501**

Date : **08-07-2021**

Old Holding No.: **141**

Ward No : **8**

Department / Section : **Revenue Section**

Account Description : **Holding Tax & Others**

SAF No. : **SAF668132080721125008**

Application Type : **Mutation**

Property Type : **Independent Building**

Owner Name **PARWATI DEVI W/O LT ASHOK KUMAR NAYAK**

Address : **NAVRATRI TOLI BUNDU,**

BUNDU, RANCHI Pin - 835204

MOB No : **6202045141**

A Sum of Rs. **1227.00** (in words) **One Thousand Two Hundred and Twenty-Seven Only**

towards **Holding Tax & Others** vide **Cash**

Dated **08-07-2021** Drawn on **NA** Place Of The Bank.

N.B. Online Payment/Cheque/Draft/ Bankers Cheque are Subject to realisation

Account Description	Period	Amount
Holding Tax Arrear	4 / 2020-2021 4 / 2020-2021	243.00
Holding Tax Current	1 / 2021-2022 4 / 2021-2022	972.00
	Total	1215.00
	Additional Tax	0.00
	Penalty Amount	12.00
	Rebate on current Demand	0.00
	Adjust amount	0.00
	Amount Received	1227.00
	Advance Amount	0.00



Signature of Tax Collector

Note:-

- This is a Computer generated Receipt. This receipt does not require physical signature.
- Avail 5% rebate yearly Holding Tax Amount by paying the tax before 30th June of the Financial Year.
- without prejudice to land right

For Details Please Visit : suda.jharkhand.gov.in
or Call us at 18002586545

In Collaboration With
Sparrow Softech Pvt. Ltd.
H-117, Harmu Housing Colony, Sajand
Chowk, Ranchi